

महोदय,

प्रार्थीया अण्ची देवी पत्नी शंकर लाल जाति नाई निवासी 08 शिवनगर चक 3ई छोटी पो.चक 2एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने एक प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 17.11.2020 को एक बंद वसीयत(शील्ड लिफाफा) सेफ कस्टडी में रखी गयी थी जिसे अब प्रार्थी बिना खोले वापिस लेना चाहता है।

प्रार्थीया को गवाहान श्री सोनू पुत्र सुरिन्द्र कुमार एवं रेणु पत्नी बहादर राम ने पहचाना है। प्रार्थीया एवं गवाहों की शिनाख्त श्रीमती कंवलजीत कौर अरोडा अधिवक्ता, श्रीगंगानगर ने की है।

इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 44 के अन्तर्गत बंद वसीयत प्रार्थी को वापिस दिये जाने का प्रावधान है।

अतः पूर्व में बंद लिफाफा नियमानुसार फीस जमा करवाकर प्रार्थीया को वापिस दिया जाना प्रस्तावित है।

आदेशार्थ प्रस्तुत है  
जिला पंजीयक महोदय

2021/275

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*